



100602

नगर निगम लखनऊ

प्रपत्र-“ख”

(नियम 3 देखिये)

भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने के लिये

- क. (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम
- (दो) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम
- (तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या
- (चार) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता
- (पाँच) स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता
- (छः) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता

ख. निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी ब्यौरा

- (एक) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों
का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
- (दो) समस्त बालकनी, कारीडर, रसोई और
भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
- (तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम
(वर्ग फुट में)

टिप्पणी :- स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र
कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

ग. भवन का कारपेट एरिया :-

= ख (एक) + 1/2ख (दो) + 1/4 ख (तीन)

- घ. (एक) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है
- (वर्ग फुट में)
- (दो) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई
भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में)

ङ. (क) भवन अवस्थित है।

- (i) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (ii) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (iii) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति

- (i) पक्का भवन, आर.सी.सी. छत या आर.बी.छत सहित
- (ii) अन्य पक्का भवन
- (iii) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है।

(ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है

- (i) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (ii) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (iii) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

टिप्पणी :- कृपया उपर्युक्त (एक), (दो) या (तीन) के खाने में जो भी सही हो उसमें सही का निशान लगायें।

च भवन या भूमि स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है।

(कोई एक उल्लेख करें)

टिप्पणी :- यदि भवन/भूमि एक वर्ष से कम की अवधि से रिक्त है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा।

यदि भवन/भूमि एक वर्ष से अधिक की अवधि से रिक्त है तो उसे "रिक्त" उल्लिखित किया जायेगा।

छ भवन के निर्माण का वर्ष

सत्यापन

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी निजी जानकारी के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं।

दिनांक

अनुप्रमाणक (साक्षी)

हस्ताक्षर

नाम

पिता-माता का नाम

पूरा पता

हस्ताक्षर

नाम

स्थायी पता

दूरभाष/मोबाइल नं.

- यदि मैंने किराये पर दे दिया है तो मैं स्वामी को (i)
- यदि मैंने किराये पर दे दिया है तो मैं स्वामी को (ii)
- यदि मैंने किराये पर दे दिया है तो मैं स्वामी को (iii)



क्रम संख्या 16294

नगर निगम, लखनऊ

प्रपत्र 'घ' (नियम-3 देखिए)

अनावासिक भवन के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर निर्धारण प्रपत्र

- क- (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम
- (दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम
- (तीन) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता :- भवन/भूखण्ड संख्या.....
- सड़क का नाम
- मुहल्ले का नाम..... वार्ड का नाम.....
- (चार) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता (यदि उक्त से भिन्न हो)
-
- (पाँच) यदि भवन या भवन का कोई भाग/भूमि किराये पर उठा है तो किराएदार का नाम.....

2. भवन या भूमि का विवरण.....

- (एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में)
- (दो) खुली भूमि या भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में)
- (तीन) अनावासीय भवन/प्रतिष्ठान/कार्यालय/संस्थान का प्रचलित नाम.....

3- अवस्थिति का विवरण-

(क) भवन या भूमि अवस्थित है-

- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति

- (एक) पक्का भवन, आर.सी.सी छत या आर.बी छत सहित
- (दो) अन्य पक्का भवन, एस्बेस्टस, फाइबर या टीनशेड
- (तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है।

टिप्पणी : कृपया प्रयोज्य खाने में सही (✓) का चिन्ह लगायें।

4- भवन निर्माण का वर्ष

5- पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष

भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा भवन के बाहर सार्वजनिक फुटपाथ/सड़क पर खड़े किए जाने वाले चार पहिया वाहनों की संख्या

